न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 62 / 2023

रोहित पुत्र श्री मानिक चन्द, निवासी रविदास आश्रम कॉलोनी, वार्ड 17, नदबई जिला भरतपुर पिन 321602 मो0 नं0 7410830058

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 04.10.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रोहित पुत्र श्री मानिक चन्द, निवासी रविदास आश्रम कॉलोनी, वार्ड 17, नदबई जिला भरतपुर पिन 321602 की अपील लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 708 दिनांक 18.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2023/9092 दिनांक 27.09.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण अपने पत्रांक सामान्य/RTI(123)/2023/8067 दिनांक 23.08.2023 से

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था।

उक्त सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाव पत्रांक विकास/2023/3305 दिनांक 10.10.2023 शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि कार्यालय के पत्रांक विकास/2023/2734 दिनांक 06.09.2023 से अपीलार्थी के घर के पते पर जबाब की सूचना भिजवाई जा चुकी है। उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। जहॉ तक अपीलान्ट का अपील में यह कथन करना कि उनके द्वारा आर.टी.आई प्राथना पत्र के साथ राशि रू. 10/– का पोस्टल आर्डर संलग्न किया गया था। इस सम्बन्ध में कृपया आर.टी.आई. एक्ट का अवलोकन करें कि राशि रू. 10/– का पोस्टल आर्डर आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र का शुल्क है। अतः अपीलान्ट को चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रू. 02/– (शब्देन दो रू. मात्र) राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट नियमानुसार वांछित राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, साथ ही निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य/विकास अनुभाग कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर